भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4153

दिनांक 20.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मालदीव के सिविल सेवकों का प्रशिक्षण

4153. **श्री मनोज तिवारीः**
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री जगदम्बिका पालः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री राव राजेन्द्र सिंहः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मालदीव के 1,000 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए हस्ताक्षरित नवीनीकृत समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा कार्यक्रम के प्रमुख घटकों की अवधि और वित्तीय परिव्यय क्या हैं;

(ख) यह नवीनीकृत साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की व्यापक विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ किस प्रकार संरेखित होती है;

(ग) मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 2019 से 2024 तक राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) द्वारा संचालित पिछले क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के परिणामों का वर्षवार ब्यौरा क्या है, जिसमें प्रशिक्षित सिविल सेवकों की संख्या और कवर किए गए क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को दर्शाया गया हो;

(घ) क्या पिछले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के संबंध में कोई आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और नवीनीकृत एमओयू में शामिल किए गए सुधार क्या हैं; और

(ड.) क्या हिंद महासागर क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी इसी तरह की क्षमता निर्माण पहल की योजना बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (ड.) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार और मालदीव सिविल सेवा आयोग, मालदीव गणराज्य के बीच मालदीव के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संबंधी समझौता ज्ञापन पर 08 जून 2019 को हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत मालदीव की आवश्यकताओं के अनुसार, सार्वजनिक नीति, शासन और क्षेत्रीय प्रशासन के क्षेत्रों में, 1000 मालदीव सिविल सेवकों को भारत में अनुकूलित, विशिष्ट रूप से तैयार किए गए तथा आवश्यकता–आधारित मॉड्यूल और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। पांच वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षरित इस समझौता ज्ञापन को 09 अगस्त 2024 को नवीनीकृत किया गया, जिसका उद्देश्य पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत में अतिरिक्त 1000 मालदीव के सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करना है।

मालदीव भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति और विजन 'सागर' में एक महत्वपूर्ण सहभागी है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण भारत–मालदीव सहभागिता के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। यह अक्टूबर 2024 में अपनाई गई भारत–मालदीव 'व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा सहभागिता' में परिलक्षित हुआ है, जिसमें दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि क्षमता निर्माण पहल ने मालदीव की मानव संसाधन विकास संबंधी आवश्यकताओं में सकारात्मक योगदान दिया है और उन्होंने मालदीव के सिविल सेवकों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया है।

इसी प्रकार, 16 दिसंबर 2024 को श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान एनसीजीजी और श्रीलंका विकास प्रशासन संस्थान (एसएलआईडीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत पांच वर्षों की अवधि में भारत में 1,500 श्रीलंकाई सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

*****